न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 17 / 2021 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021 / 27

उनवान

1. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये महन्त अवधेशाचार्य गलता मंदिर जयपुर।

..अपीलाट।

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र धन्ना लाल जाति माली | निवासी चूलीगेट।
2. जगदीश पुत्र धन्ना लाल जाति माली | गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी।

...रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री ओमप्रकाश पारिक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।

अपील संख्याः– 20 / 2021 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021 / 44

उनवान

1. नवलसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत
2. शम्भूदयाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण
3. रामेश्वरी पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राहम्ण

सभी निवासीयान नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।

..अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी चूलो गेट,
2. जगदीश पुत्र धन्नालाल गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
3. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये पुजारी अवधेशाचार्य गलता जी जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

..रेस्पोडेन्ट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः–

1. श्री जे0 के0 गर्ग अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित।
2. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता रेस्पो संख्या 03।

अपील संख्याः– 53/2021
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021/149 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

......अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।,
3. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये पुजारी आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर।

.....रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री प्रेमप्रकाश जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।
3. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03।

अपील संख्याः– 74/2021
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021/153 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरियेः प्रन्यासी
1. सुश्री कल्पना तिवाडी पुत्री अंजनी कुमार
2. श्रीमती सिया शर्मा पत्नि स्व0 अंजनी कुमार
3. ईश्वरी प्रसाद तिवाडी पुत्र अंजनी कुमार

समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
4. आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 04।

(223 आर.टी.एक्ट)

अपील संख्याः– 75/2021

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021/150

उनवान

1. रामभरोसी पुत्र रामधन माली निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. हेमलता पत्नी हरिओम पुत्र रामधन जाति माली निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।
3. मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये महनत अवधेशाचार्य हाल निवासी गलता मंदिर जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री गोपाललाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–12.06.2023

1. यह अपीले मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ गंगापुर सिटी में दायर राजस्व वाद संख्या 07/2018 बउनवान सोमप्रकाश बनाम मंदिर श्री सीताराम जी महाराज में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में अपील संख्या 17/2021, 20/2021, 53/2021, 74/2021, 75/2021 पेश की गई है। चुंकि सभी अपीले एक ही आलोच्य आदेश के विरूद्व की गई है और सारभूत रूप से विवाद की विषयवस्तु एक समान ही है। अतः उक्त सभी अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अदालत माहत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी में वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्त इन्द्राज एवम् स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादीगण सुखराम के वंशज है। विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 310 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम गंगापुर मूल्या पुत्र सुखराम के कब्जे काश्त की भूमि थी। इस पर कब्जा वादीगणों का पूर्वजो से ही चला आ रहा है। विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नंबर 310 के हाल खसरा नंबर 388 रकबा 64 एयर पर वादीगण काबिज काश्त है, परन्तु भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 388 को मंदिर श्री सीताराम जी की खातेदारी में लगा दिया। अन्त में वाद पत्र में अनुतोष चाहा गया कि वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावें कि खसरा नंबर 388 रकबा 64 एयर मंदिर श्री सीताराम जी से हटाई जाकर वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अदालत मातहत द्वारा 06 तनकीयात कायम करते हुए, तनकीवार विवेचना करते हुए यह आदेश पारित किया कि वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 38 रकबा 64 एयर ग्राम गंगापुर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी से विवादित आराजीयात को कम कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावें, और राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। दिनांक 26.02.21 को पर्चा डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर ये अपीले न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

3. अपील संख्या 17/21 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि मंदिर सीताराम जी की भूमि है जो कि शाश्वत नाबालिग है। इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 388 रकबा 0.64 है0 गत खसरा नंबर 310 से बना है। खसरा नंबर 310 के साबिक खसरा नंबर 550 व 555 मूर्ति मंदिर की खातेदारी की भूमि रही है। इसकी पुष्टि लैण्ड होल्डर के जवाब से होती है। राजस्थान सरकार की परिपत्र संख्या 168/12.06.1999 , 13.11. 99, 14.11.75 व 8757 दिनांक 18.10.79 के द्वारा पुनः मंदिर के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई है। उक्त कार्यवाही लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 82 के द्वारा की गई है। अदालत मातहत द्वारा अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प फजी दस्तावेजों के आधार पर आदेश पारित किया है। सहायक भूप्रबंध अधिकारी के निर्णय का किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। दावे में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार थे, परन्तु दिनांक 23.08.12 को उसका नाम हजफ कर दिया गया।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड के आधार पर दावा साबित नही होने के बावजूद भी उक्त निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट स्वीकार किया जाकर अदालत मातहत की निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.21 को निरस्त फरमाया जावें।

4. अपील संख्या 20/21 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात आबादी भूमि है। अपीलार्थी ने चार भूखण्ड क्रय कर उन पर मकान बना रखे है। आबादी की भूमि होने के कारण धारा 90बी के अन्तर्गत नगर पालिका में जा चुकी है। वादीगण का कोई कब्जा नही है। विवादित आराजीयात आवासीय प्रयोजन से काम आ रही है। सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी के मौका कमिश्नर के अनुसार भी आबादी भूमि होना व अपीलार्थी के भूखण्ड होना पाया गया है। मूल्या ने धन्नालाल के हित मे कोई गोदनामा तहरीर नही करवाया। गोदनामा फर्जी रूप से बनाया गया है। विवादित आराजीयात प्रतापी ने मोहनलाल व पूरणमल को 14.02.79 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

अपील के साथ 96 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि कोई कृषि भूमि नही है, बल्कि आबादी की भूमि है। इस भूमि को खातेदार मूल्या ने अपनी पुत्री प्रतापी को पंजीकृत दान पत्र के आधार पर दान कर दी। प्रतापी ने इसे विक्रय कर दिया। वादग्रस्त भूमि में प्लाटिंग होने पर अपीलार्थी ने भी चार भूखण्ड क्रय किये व मकान बनाकर रिहायश कर रहा है। वादग्रस्त भूखण्ड के बाबत् प्रार्थी ने नगर पालिका गंगापुर सिटी के विरूद्व पूर्व में ही दावा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें टी.आई. प्रार्थी के हक में जारी है तथा कमिश्नर द्वारा देखे गये मौका रिपोर्ट में भी प्रार्थी का कब्जा है। वादीगण निर्णय जेरे अपील की आड में वादग्रस्त भूखण्डों से प्रार्थी को बेदखल करना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि के निर्णय से प्रार्थी के अधिकार प्रभावित होते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील पेश करने की इजाजत प्रदान की जावे।

5. अपील संख्या 53/21 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि की खातेदारी एकीकरण पूर्व माफी मंदिर श्री सीताराम जी पुजारी हरिकिशन वल्द हरिवल्लभ ब्राहम्ण के नाम संवत् 2002 से 2020 दर्ज रिकार्ड थी, जिसको एकीकरण पूर्व खसरा नंबर 550 रकबा 05 बिस्वा, 555 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा थे। एकीकरण मिलान क्षेत्रफल के अनुसार एककीरण खसरा नंबर 310 होना तथा सेटलमेंट से हाल खसरा नंबर 388 बना, जो एकीकरण में गलत रूप से मूल्या के नाम दर्ज हो गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत कार्यवाही कर सही रूप से खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 मंदिर के नाम दर्ज की गई है। अनरजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर श्रवणाधिकार रेवेन्यु कोर्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को किसी भी प्रकरण में कार्यवाही के लिये सरकार से अनुमति लेना आवश्यक हैं। प्रार्थी द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर प्रकरण में प्रस्तुत इजराय के पत्र क्रमांक राजस्व/2021/1672 दिनांक 30.03.21 के आधार पर लिखा गया, जिसमें दिनांक 08.07.21 को पत्र क्रमांक/कोर्ट/रीडर/2021/1297 द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण मे अपील पेश करने के लिये आदेशित किया। परन्तु इसी दरम्यान पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनावो की घोषणा हो जाने के कारण अपीलांट को चुनाव कार्य में लगा दिया गया जो दिनांक 07.09.21 को चुनाव समाप्त होते ही दिनांक 08.09.21 को अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही हैं। अपील पेश करे में अपीलांट द्वारा जानबूझकर कोई लापरवाही नही की गयी हैं। अतः देरी को क्षमा कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें।

6. अपील संख्या 74/21 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाद में लैण्ड होल्डर एक आवश्यक पक्षकार था परन्तु उसका नाम हजफ कर दिया गया। इस कारण दावा वादीगण विधि द्वारा बाधित हो गया। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर कोई तनकी कायम नही की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावें।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपीलार्थीगण को कभी कोई जानकारी नही रही परन्तु अचानक दिनांक 08.10.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को मंदिर की भूमि पर आकर डोलमेड करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई, होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील मियाद शुमार किया जाना न्यायाहित मे आवश्यक है अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन किया जावें व अपील पेश करने की अनुमति दी जावें।

प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मूर्ति मंदिर सीताराम जी के प्रन्यासी है तथा प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर अपील पेश करना आवश्यक हुआ। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील में सुनवायी की जावें तथा प्रार्थी को न्याय दिलाया जावें।

स्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

7. अपील संख्या 75/21 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.0.76 को मूल्या द्वारा धन्नालाल को गोद लिए जाने व वादीगण धन्नालाल के वारिसान है, इस हेतु भूमि हड़पने के उद्देश्य से फर्जी कागजात बनाकर दावा पेश किया गया। अपीलांट भी प्रभावित आवश्यक पक्षकार है और विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। इस कारण मातहत अदालत का निर्णय व डिकी दिनांक 26.02.2021 को निरस्त फरमाया जावें।
अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 पेश किया गया।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत मे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया है अपीलांट का उक्त भूमि मे हित निहित है उक्त भूमि अपीलांट की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है। इसलिए अपीलांट को सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट को सुने जाने व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.11.21 को अपीलांट वादग्रस्त भूमि की देखभाल कर रहे थे तो रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को भूमि से बेदखल करने को धमकाया गया जाने पर जानकारी हुई। मियाद जानकारी के पश्चात् यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील मियाद अन्दर शुमार फरमायी जावें।

8. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं को बहस सुनी गयी।
9. मुख्य बहस अपील संख्या 17/21 में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गोदपुत्र की घोषणा मात्र सिविल कोर्ट ही कर सकता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के संबंध में पत्रावली तलब करने के कारण निर्णय करने का अधिकारी नही था परन्तु निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 26.02.21 को निरस्त फरमाया जावें।
10. मुख्य बहस अपील संख्या 20/21 में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 13.09.78 का स्टाम्प विकेता मदन मोहन स्टाम्प विकेता का कार्य नही करता था। वह सरकारी कर्मचारी था। कुटरचित दस्तावेज बनाया। धन्ना माली की कभी गोद नही लिया गया। प्रदर्श-1 को किसी भी गवाह द्वारा साबित नही कराया गया। मूल्या की पुत्री प्रतापी आवश्यक पक्षकार है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

परन्तु उसे पक्षकार नही बनाया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावें।

11. मुख्य बहस अपील संख्या 53/21 पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार की जावें। निर्णय व डिक्री अपास्त की जावें।

12. मुख्य बहस अपील संख्या 74 /21 में अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस व अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का मंदिर की संपत्ति से कोई ताल्लुक वास्ता नही है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग हैं उसकी संपत्ति व जायदाद की देखभाल करने का अधिकार पुजारी को है। वादीगण द्वारा साजिशी रूप से मंदिर की देखभाल करने का दायित्व देवस्थान विभाग द्वारा जिन्हे दिया गया। उन्हें पक्षकार न बनाकर तथाकथित अन्य का नाम मंदिर का पुजारी अंकित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावें।

13. अपील संख्या 75/21 की मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते कथन किया कि मूल्या द्वारा धन्नाराम को कभी गोद नही लिया गया अपीलांट भी मूल्या को वारिसान है तथा विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पुनः कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित किया जावें।

14. जवाब बहस में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस को ही मौखिक बहस मानने हेतु कथन किया गया। लिखित बहस के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का जवाब प्रस्तुत होने पर तनकी कायम कर साक्ष्य ली जाकर वादीगण के पक्ष दावा डिक्री किया गया। खसरा नंबर 550 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 555 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा जिनकी एकीकरण पूर्व खसरा नंबर 370 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा है। मिसल हकीयत संवत् 1984 में खसरा नंबर 550 रकबा 05 बिस्वा एवं खसरा नंबर 555 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 482 रकबा 05 बिस्वा व खसरा नंबर 489 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा से बनना पाया जाता है।

मिसल हकीयत संवत् 1984 के अनुसार दो नम्बर अन्य जो 490 रकवा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 491 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा से एकीकरण पूर्व बने खसरा नम्बर 311 व 312 रकवा कमश 2 बिस्वा एवं 1 बीघा 6 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेन्ट बने नये नम्बर 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 312 रकवा 0.26 हैक्टर कायम हुए हैं, जो वर्तमान में मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी के नाम से दर्ज रिकार्ड राजस्व मौजूद कायम हुए है। स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 310, खसरा नम्बर 550, 555, 558 को संयुक्त कर बनाया है, जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

पूर्णरूपेण गलत खसरा नम्बर 558 रकवा 3 बीघा 11 विस्वा सवत् 1984 मिसल हकीयत में रकवा था, जिसे सेटिलमेन्ट में 0.64 हैक्टर रखकर भारी भूल की है, जो भी संशोधित कर रकवा 86 ऐयर बनाया जाना कानूनी है। खसरा नम्बर 386/719 रकवा की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम घोषित फरमायी जाकर मूर्ति मंदिर के नाम से हजफ फरमायी जावें।

एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत आवश्यक कार्यवाही के निर्देश राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एप/जी/ग/राज/क0–168 दिनांक 12.06.69 व दिनांक 13.11.69 तथा दिनांक 14.12.75 तथा 8757–83 दिनांक 18.10.79 द्वारा जिन मंदिर व धार्मिक स्थानों की भूमियों को अवैध हस्तान्तरण मूर्तियों के स्थान पर पुजारियों /सेवारतों या अन्य के नाम कर दिया है तो उन समस्त मामलों में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 82 के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये है। लेकिन हस्तगत प्रकरण के तथ्य इसके उलट हैं। वर्तमान खसरा नम्बर 388 जिसके साविक खसरा नम्बर 310 एकीकरण से पूर्व खसरा नम्बर 558 रकवा 3 बीघा 12 विस्वा था जो मिसल हकीयत सवत् 1984 खसरा नम्बर 492 रकवा 3 बीघा 12 विस्वा खातेदारी से बना है, स्पष्ट है। उक्त खसरा नम्बर 492 कभी भी माफी मंदिर की भूमि नहीं रही गलती से एकीकरण में रकवा मिलाकर खसरा नम्बर 550 रकवा 5 विस्वा खसरा नम्बर 555 रकवा 2 बीघा 6 विस्वा के साथ खसरा नम्बर 558 रकवा 3 बीघा 12 विस्वा मिलाकर नया नम्बर 310 रकवा 6 बीघा 3 विस्वा कायम किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवेक का इस्तेमाल कर इस विसंगति को दूर कर खसरा नम्बर 492 मिसल हकीयत खातेदारी नम्बर से बने खसरा नम्बर 558 तत्पश्चात् एकीकरण नम्बर 310 में समाहित खातेदारी रकवे को अलग कर वादीगण को खसरा नम्बर 388 रकवा 0.64 हैक्टर का खातेदार घोषित फरमाया गया है जो सर्वथा उचित है। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती का सुधार कर खातेदार को न्याय प्रदान किए जाने से उनवानी अपील तहसीलदार बनाम सोमप्रकाश बलहीन, प्रभावशून्य, व शून्य होने की वजह से खारिज होने योग्य है। दस्तावेज मिसल हकीयत व अन्य जमाबंदी से स्पष्ट है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाईं जावें तथा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के निर्णय व डिकी दिनांक 26.02.2021 प्रकरण संख्या 07/2018 को यथावत् रखा जावें।

अपील संख्या 74/21 के जवाब बहस में अपीलांट अधिवक्ता अपील संख्या 17/21 के द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट अपील संख्या 74/21 एक प्रन्यास रजिस्टर्ड करवाकर अनुचित रूप से मूल मंदिर श्री सीताराम जी की जमीन हड़पना चाहते है। इनका कभी भी राजस्व रिकार्ड मे नाम नही रहा है। अतः इनकी अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

15. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

16. पत्रावली में विभिन्न अपीलों मे गुणावगुण के निर्णय करने से पूर्व धारा 96 जा0 दी0 व मियाद अधिनियम धारा 05 के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय किया जाना आवश्यक है।

अपील संख्या 20/21 में धारा 96 सी0पी0सी0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट द्वारा 04 भूखण्ड बना रखे हैं, सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में दावा पेश रखा है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 जा0 दी0 स्वीकार किया जाता है। जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार नही है और न ही विवादित आराजीयात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि है। विधि विरूद्व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग को विधि मे मान्यता नही है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलांट की अपील मीमों के अनुसार जब सिविल न्यायालय मे वाद दायर कर रखा है तो राजस्व न्यायालय में अपील करने का अधिकार नही है।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात की किस्म **कृषि** है और अपीलांट विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार नही रहा है। यदि अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कोई कब्जा है तो इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त न कर सक्षम न्यायालय में अलग से दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता था। चुंकि अपीलांट अपने हित से संबंधित किसी भी प्रकार का **स्वत्व** को रिकार्ड से साबित नही कर सका है इसलिए अपील में इसके हक निहित नही है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दृष्टांत **2017(1) आर.आर.टी. पेज 613** निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 88 and 188-Suit decreed-appellants were not party in the suit and appeal filed alongwith an application u\Sec. 96 C.P.C.-RAA rejected the application and appeal-Appellants are not the affected party-No right or title accrue to the appellants-Held, No illegality in the order."

उक्त दृष्टांत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। इस कारण अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

अपील संख्या 74/21 में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए अपील के तथ्यों को संक्षिप्त मे दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी के प्रन्यासी है तथा प्रभावित पक्षकार हैं। अदालत मातहत के दावे मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांट को पक्षकार नही बनाए जाने के कारण यह अपील प्रार्थना पत्र के साथ पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि मिसल हकीयत संवत् मौजा गंगापुर संवत् 1994 से आज तक राजस्व रिकार्ड मे कभी भी अपीलांट प्रन्यासी राजस्व रिकार्ड मे कभी भी पुजारी के रूप मे/खातेदार के रूप में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही रहे है। राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही वाद के आधार पर प्राप्त है। इसलिए अपीलांट का विवादित आराजीयात में हक अधिकार कभी भी उत्पन्न नही हुए है। इसलिए अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज किया जावें। इसके अतिरिक्त अपील संख्या 17/21 के अपीलांट द्वारा अपीलांट की 96 सी0पी0सी0 का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलांट अपील संख्या 17/21 ही मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी महाराज के असली राजस्व रिकार्डेड पुजारी है। आगे कथन किया कि मूल मंदिर चूली गेट/घास मंडी पर स्थित है, जबकि प्रन्यासी द्वारा बताया गया मंदिर मूल मंदिर से 02 किलोमीटर दूर नवीन रूप से स्थापित किया गया है। अतः प्रन्यासीयों को मूल मंदिर श्री सीताराम जी महाराज की आराजीयात पर कोई हक अधिकार नही होने से धारा 96 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि विवादित आराजीयात की किस्म **कृषि** है और अपीलांट अपील संख्या 74/21 विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार नही रहा है। यह भी कि कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड के परिवर्तन का श्रवणाधिकार केवल और केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम मे प्रदत्त शक्ति के अनुसार राजस्व न्यायालय को ही है। चुंकि अपीलांट अपने हित से संबंधित किसी भी प्रकार का **स्वत्व** को रिकार्ड से साबित नही कर सका है इसलिए अपील में इसके हक निहित नही है। इस संबंध माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दृष्टांत **2017(1) आर.आर.टी. पेज 613** निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 88 and 188-Suit decreed-appellants were not party in the suit and appeal filed alongwith an application u\Sec. 96 C.P.C.-RAA rejected the application and appeal-Appellants are not the affected party-No right or title accrue to the appellants-Held, No illegality in the order."

उक्त दृष्टांत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। इस कारण अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

अपील संख्या 75/21 में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0दी0 पर बहस करते हुए अपील के तथ्यों को संक्षिप्त मे दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजीयात अपीलांट की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है परन्तु अदालत मातहत मे रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया। अपीलांट का विवादित आराजीयात मे हित निहित है इसलिए अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार कर अपील को अनुमत किया जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजीयात मे अपीलांट का कोई हक हिस्सा नही है क्योंकि गोदनामा किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 को खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टया यह प्रकट नही हो रहा है कि विवादित आराजीयात मूल्या पुत्र सुखराम से किस प्रकार संबंधित है। **द्वितीयः–** पत्रावली मे ऐसा कोई प्रमाण नही है कि गोदनामा को किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जावे। प्रदर्श–1 के अनुसार मूल्या पुत्र सुखराम के एक मात्र वारिस प्रतापी थी, परन्तु उसके द्वारा न तो अपील पेश की गई है न ही ऐसा कोई दस्तावेज शामिल मिसल है जिससे यह प्रकट हो कि लिखावट 13.09.78 को किसी सिविल न्यायालय मे चुनौती दी हो। चुंकि अपीलांट अपने हित से संबंधित किसी भी प्रकार का **स्वत्व** को रिकार्ड से साबित नही कर सका है इसलिए अपील में इसके हित निहित नही है। इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दृष्टांत **2017(1) आर.आर.टी. पेज 613** निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 88 and 188-Suit decreed-appellants were not party in the suit and appeal filed alongwith an application u\Sec. 96 C.P.C.- RAA rejected the application and appeal-Appellants are not the affected party-No right or title accrue to the appellants-Held, No illegality in the order."

उक्त दृष्टांत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। इस कारण अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

धारा 05 के संबंध मे अपील संख्या 53/21 की बहस में सरकार पैरोकार द्वारा मुख्य बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा जारी डिकी की पालना बाबत् दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

30.03.21 को तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगे जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 08.07.21 को अपील पेश करने हेतू आदेशित किया गया परन्तु अपीलांट चुनाव कार्य मे व्यस्त होने से चुनाव समाप्ति के तुरन्त पश्चात् 08.09.21 को अपील पेश की है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही की है। अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अन्दर मियाद स्वीकार किया जावें।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया कि अपील पेश करने की मियाद 60 दिन होते है परन्तु अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 26.02.21 से लगभग 07 माह बाद देरी अपील प्रस्तुत की गई है। राज्य सरकार भी एक प्राइवेट पक्षकार की तरह ओर मियाद अवधि मे रियायत दिए जाने बाबत् कोई विशेष अधिकार नही है। दिन–प्रतिदिन के भी कोई कारण अंकित नही किए गए है। रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से पेश की गई है। अतः धारा 05 प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावे।

बहस प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर मनन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि तहसील स्तर पर अपील पेश करने बाबत् किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही की गई है। चुनाव कार्य भी अत्यावश्यक होने के कारण न्यायालय का यह समाधान है कि अपील पेश करने मे जानबूझकर विलम्ब नही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण को मेरिट के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

17. **अपील संख्या 17/21 व 53/21** के निर्णय किए जाने के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर आया कि खतौनी बंदोबस्त 2002–2022 मौजा गंगापुर निजामत गंगापुर खसरा नंबर 550 रकबा 05 बिस्वा, 555 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, 556 रकबा 02 बिस्वा, 557 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 04 बीघा मंदिर श्री सीताराम जी पुजारी हरिकिशन वल्द हरिवल्लभ सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

खतौनी एकीकरण जमाबंदी संवत् 2019 तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर खाता नंबर 103 खसरा नंबर 310 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा मूल्या पुत्र सुखराम माली के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 158 खसरा नंबर 311 रकबा 02 बिस्वा, 312 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा मंदिर श्री सीतारामजी महाराज पुजारी हरिकिशन वल्द हरिवल्लभ के नाम दर्ज रिकार्ड है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मिलान क्षेत्रफल संवत् 2003–2022 मौजा गंगापुर तहसील व निजामत गंगापुर निम्नानुसार हैः–

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
492	03 बीघा 11 बिस्वा	558	03 बीघा 11 बिस्वा
555	02 बीघा 07 बिस्वा	489	02 बीघा 07 बिस्वा
550	05 बिस्वा	482	05 बिस्वा

इसी प्रकार मिसल हकीयत 1994 खतौनी 93/102, खतौनी बंदोबस्त 2002–2022 मौजा गंगापुर निजामत गंगापुर, खतौनी एकीकरण संवत् 2019 तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर एवं मिलान क्षेत्रफल संवत् 2003–2022 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 492 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसके संवत् 2003–2022 खसरा नंबर 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि बने है। मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा कस्बा गंगापुर नंबर हदबस्त 602 तहसील गंगापुर संवत् 1994 में खतौनी नंबर 96/121 के खसरा नंबर 492 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा घीसाराम वल्द किशोराराम के नाम दर्ज रिकार्ड है, मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज के नाम नही।

भूमि एकीकरण मौजा गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर मिलान क्षेत्रफल संवत् 2012 के अनुसार गत खसरा नंबर 310 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 550 रकबा 05 बिस्वा, 555 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा बने है **(प्रदर्श–05)**।

इससे यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा हाल खसरा नंबर 310 रकबा 06 बिस्वा 03 बिस्वा में साबिक खसरा नंबर 558 भी सम्मिलित है। जैसा कि उपर्युक्त अंकन किया जा चुका है कि खसरा नंबर 558 के साबिक खसरा नंबर 492 है।

बंदोबस्त विभाग क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र(फर्द मिलान रकबा) ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर सवंत् 2031 निम्नानुसार है **(प्रदर्श–05)**:–

गत खसरा नंबर	रकबा	हाल खसरा नंबर	रकबा
312 मी.	06 बीघा 03 बिस्वा	386	0.70 है0
310 मी.	01 बीघा 07 बिस्वा	388	0.64 है0
311 मी.	01 बीघा 06 बिस्वा	387	0.26 है0

जमाबंदी संवत् 2064–67 वाके ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर खतौनी नंबर 98 मंदिर के अनुसार खसरा नंबर 342, 343, 344, 345, 347, 386/719, 388 कुल किता 7 कुल रकबा 3.94 है0 श्री सीताराम महाराज सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खतौनी नंबर 106 के अनुसार खसरा नंबर 387, 389 कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 माफी मंदिर श्री सीतारामजी पुजारी हरिकिशन पुत्र हरवक्स ब्रहम्ण सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है **(प्रदर्श–03)**।

प्रदर्श–2 व प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर है कि गत खसरा नंबर 310 मि. रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 386 रकबा 0.70 है0 व गत खसरा नंबर 310 मि. रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 388 रकबा 0.64 बने है। इस प्रकार गत खसरा नंबर 310 मि. रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 388 रकबा 0.64 है0 बने जिनका मंदिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम गलत अंकन हुआ है। बंदोबस्त विभाग को इस प्रकार का परिवर्तन करने को कोई विधिक अधिकार नही है। इसी मत का समर्थन माननीय राजस्व मंडल अजमेर के दृष्टांत **2016(1) आर.आर.टी.** पेज **374** में निम्नानुसार किया हैः–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212-Temporary Injunction-Trial Court granted T.I. & restrained the defendants-RAA allowed the appeal &set aside the order-Land was in khatedari of Hardev S\o Dhula Settlement department entered the name of 'K' in the record-Land was self acquired of Hardev-Settlement was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries-Held, Order set aside."

इसी प्रकार उक्त संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय ने दृष्टांत **2008(1) आर.आर.टी. पेज** 151 निम्नानुसार प्रतिपादित किया हैः–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 88-Suit for declaration-petition- ers declared khatedar tenant of Kh. 734-RAA reversed the judgment and upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No.4-Respon-dent No.4 should have file an independent suit-Held, RAA and Board were not justified in reversing the judgment and decree."

इसी प्रकार भूमि एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2019 ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर खाता संख्या 103 के अनुसार खसरा नंबर 310 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा मूल्या पुत्र सुखराम कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड है **(प्रदर्श–09)**। जमाबंदी संवत् 2031–2034 वाके ग्राम गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर खसरा नंबर 310 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा मूल्या पुत्र सुखराम कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड है **(प्रदर्श–08)**।

गोदनामा से संबंधित वैधता का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है और जब तक गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक विधि के अनुसार गोदनामा वैध माना जाता हैं। इसलिए अपीलांटगणों द्वारा अपीलों में प्रस्तुत गोदनामा से संबंधित तथ्य स्वीकार योग्य नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन एवं विवेचन से यह स्पष्ट है कि जमाबंदी 2064—2067 वाके ग्राम गंगापुर के गत खसरा नंबर 310 मि. रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 388 रकबा 0.64 है0 बने है जो कि मंदिर श्री सीताराम जी महाराज साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि एकीकरण खतौनी जमाबंदी संवत् 2019 वाके ग्राम गंगापुर जिला सवाई माधोपुर गत खसरा नंबर 310 मि. रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा मूल्या पुत्र सुखराम माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि एकीकरण मौजा गंगापुर तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 310 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा के साबिक खसरा नंबर 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भी सम्मिलित है। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल संवत् मौजा गंगापुर तहसील व निजामत गंगापुर के हाल खसरा नंबर 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा के साबिक खसरा नंबर 492 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा से निर्मित है।

मिसल हकीयत 1994 खतौनी 93/102, खतौनी बंदोबस्त 2002—2022 मौजा गंगापुर निजामत गंगापुर, खतौनी एकीकरण संवत् 2019 तहसील गंगापुर जिला सवाई माधोपुर एवं मिलान क्षेत्रफल संवत् 2003—2022 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 492 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जिसके संवत् 2003—2022 खसरा नंबर 558 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। मिसल हकीयत 1994 खतौनी 93/102 में 05 बिस्वा भी मूल्या वल्द सुखराम माली शिकमी काश्तकार **कदीमी** दर्ज रिकार्ड है।
इस प्रकार मिसल हकीयत बंदोबस्त मौजा कस्बा गंगापुर नंबर हदबस्त 602 तहसील गंगापुर संवत् 1994 में गत खसरा नंबर 492 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा जो कि कभी भी मंदिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड नही रहा परन्तु भू—प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के ही उक्त आराजीयात मंदिर श्री सीताराम जी महाराज के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई है। जो बिना विधिक अधिकार के, बिना संपूर्ण रिकार्ड के विवेचन किए ही गलत दर्ज की गई है।

अदालत मातहत द्वारा संपूर्ण राजस्व रिकार्ड का संपूर्ण विवेचन तनकीवार करते हुए विधि पूर्वक निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

18. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 17/21 व 53/21 सारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 07/2018 बउनवान सोमप्रकाश बनाम मंदिर श्री सीताराम जी महाराज मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

19. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 12.06.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिकी अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

अपील संख्या:– 17/2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2021/27

उनवान

1. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये महन्त अवधेशाचार्य गलता मंदिर जयपुर।

..अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश पुत्र धन्ना लाल जाति माली | निवासी चूलीगेट।
2. जगदीश पुत्र धन्ना लाल जाति माली | गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी।

...रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या:– 20/2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2021/44

उनवान

1. नवलसिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत
2. शम्भूदयाल पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहम्ण
3. रामेश्वरी पत्नी कैलाशचन्द जाति ब्राहम्ण

सभी निवासीयान नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।

...अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश पुत्र धन्नालाल | जाति माली निवासी चूली गेट,
2. जगदीश पुत्र धन्नालाल | गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
3. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये पुजारी अवधेशाचार्य गलता जी जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

..रेस्पोडेन्ट।

अपील संख्या:– 53/2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्या:– 2021/149

उनवान

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

......अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

3. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये पुजारी आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर।

.....रेस्पोडेन्टगण।

अपील संख्याः– 74 / 2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021 / 153

उनवान

मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरियेः प्रन्यासी

1. सुश्री कल्पना तिवाडी पुत्री अंजनी कुमार
2. श्रीमती सिया शर्मा पत्नि स्व0 अंजनी कुमार
3. ईश्वरी प्रसाद तिवाडी पुत्र अंजनी कुमार

समस्त जातियान ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी।

.....अपीलांट।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
4. आचार्य अवधेश, गलता मंदिर जयपुर जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्याः– 75 / 2021 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2021 / 150

उनवान

1. रामभरोसी पुत्र रामधन माली निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. हेमलता पत्नी हरिओम पुत्र रामधन जाति माली निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।

....अपीलांटस्।

बनाम

1. सोमप्रकाश | पुत्रान धन्नालाल जाति माली
2. जगदीश | निवासी चूलीगेट गंगापुर सिटी।
3. मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये महनत अवधेशाचार्य हाल निवासी गलता मंदिर जयपुर।
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी।

.....रेस्पोडेन्टस्।

अपील संख्या :17 / 21 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस संख्या :2021 / 27

अपील संख्याः 53 / 21

जी.सी.एम.एस.संख्याः 2021 / 149 दिनांक 12.06.2023

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

यह अपील संख्या 17 / 21 व तारीख 12.06.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री ओमप्रकाश पारिक एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत तथा अपील संख्या 53 / 21 व तारीख 12.06.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री पैरोकार सरकार अपीलांट व हाजरी श्री प्रेमप्रकाश जोशी व तरूण शर्मा व मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील संख्या 17 / 21 व 53 / 21 सारहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नही पाए जाने से खारिज की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा

स्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

नंबर 07/2018 बउनवान सोमप्रकाश बनाम मंदिर श्री सीताराम जी महाराज में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2021 को यथावत रखा जाता है। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12.06.2023 को जारी किया गया।

अपील संख्या: 20/21 (धारा. 223 आर.टी.एक्ट.)
जी.सी.एम.एस संख्या: 2021/44
अपील विरूद्व आज्ञा: उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी **दिनांक:** 12.06.2023

अपील संख्या 20/21 व तारीख 12.06.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री जे0 के0 गर्ग अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री तरूण शर्मा एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

अपील संख्या: 74/21 (धारा. 223 आर.टी.एक्ट.)
जी.सी.एम.एस संख्या: 2021/153
अपील विरूद्व आज्ञा: उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी **दिनांक:** 12.06.2023

अपील संख्या 74/21 व तारीख 12.06.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री तरूण शर्मा एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

अपील संख्या: 75/21 (धारा. 223 आर.टी.एक्ट.)
जी.सी.एम.एस संख्या: 2021/153
अपील विरूद्व आज्ञा: उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी **दिनांक:** 12.06.2023

अपील संख्या 75/21 व तारीख 12.06.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोपाल लाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री तरूण शर्मा एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपीलांट अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0 दी0 सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। इस कारण अपील मे प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम व मेरिट के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता नही रह जाती है। धारा 96 सी0पी0सी0 खारिज होने से अपील स्वतः ही खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

मुहर

12.06.23
हस्ताक्षर अधिकारी मय मुहर
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner